



ऑस्ट्रेलिया में एक कैदी, विलियम बकली जेल से भागा और उसके बाद उसने अपना लगभग सारा जीवन समुद्र के किनारे एक गुफा में बिताया। जेल से भागने और उसके बाद जिंदा रहने की उसकी कहानी रोचक है। बकली पर, जानते बूझते चोरी के कपड़े का थान लेने का आरोप था। हालांकि उसका कहना था कि, वह तो केवल एक महिला के लिए कपड़ा ले जा रहा था, उसे नहीं पता था कि वो चोरी का है। फिर भी उसे 14 साल कैद की सजा दी गई और जेल भेज दिया गया। एच.एम.एस. कैलकटा जहाज से उसे सलिवन्स खाड़ी में सोरेन्टो कॉलोनी ले जाया गया। सन 1803 में जब उसे पता चला कि उसे टैस्मैनिया भेजा जाएगा तो वह जेल से भाग निकला और स्थानीय वादरोंग समुदाय के साथ रहने लगा। कहा जाता है कि इस दौरान वो एक गुफा में ही रहा। आज इस गुफा को बकली जं केव (बकली की गुफा) कहते हैं। बत्तीस साल बाद बकली बैलारीन प्रायद्वीप के सेंट लिओनाइड्स के पास जॉन बेटमैन के शिविर में आया। उसके शरीर पर उसके नाम के पहले अक्षर, "डब्ल्यू.बी." गुदे हुए थे जिससे पुष्टि हुई कि वो विलियम बकली है जो 1803 में जेल से भाग गया था और जिसे मृत मान लिया गया था। बेटमैन ने अपना कैम्प सेंट लियोनाइड्स से मेलबर्न शिफ्ट कर लिया। बकली को भी बाद में माफी मिल गई। उसने दो साल तक शवों और स्थानीय ऑबॉरिजिनल्स (मूल निवासियों) के बीच मध्यस्थता का काम किया। पर उसकी निष्ठा बंटी हुई थी और दोनों ही पक्ष उस पर भरोसा नहीं करते थे। यहां से मोहभंग होने के बाद वह टैस्मैनिया चला गया। जहां उसने नौकरी की और शादी की। सन 186 में 76 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई। बकली के फरार होने की कहानी आज भी ऑस्ट्रेलिया में सुनी-सुनाई जाती है और इसके आधार पर एक कहावत भी है, "बकली ज चांस"।

सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से दो दिन की राहत

श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि, न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर दो दिन बाद कार्यवाही की जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट आदेश रद्द कर दिया और आर.सी.ए. के चुनावों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया

जयपुर, 23 सितंबर (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन कमिश्नर यश मित्र सिंह देव के साथ अभद्रता और मारपीट से जुड़े मामले में ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को 2 दिन की राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि, वो न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर 2 दिन बाद सौम्या गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।

- सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर यशमित्र सिंह देव के साथ मारपीट व अभद्रता के मामले में ये निर्देश दिए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक फरवरी 2022 को आदेश जारी कर न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक निलम्बन की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने एक फरवरी 2022 को आदेश जारी कर, न्यायिक जांच कार्रवाई का नतीजा आने तक सौम्या गुर्जर के निलम्बन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद सौम्या ने वापस मेयर का पद संभाला था। दस अगस्त को न्यायिक जांच में, ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर, यशमित्र सिंह देव के साथ मारपीट व अभद्रता,

मामले की न्यायिक जांच में ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर व तीन पार्षदों, अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा व पारस जैन को नगर पालिका अधिनियम की धारा 39(1) (डी) सहित अन्य प्रावधानों के तहत, दुराचरण, कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने व अभद्र भाषा के आरोप में दोषी माना गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी।

जयपुर, 23 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों को संबद्धता मामले में राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद इन तीनों जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आर.सी.ए.) ने न केवल बहाल कर दिया है, बल्कि आर.सी.ए. की आगामी एजीएम में भी तीनों संघ हिस्सा लेंगे। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए मामले को एकलपीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकलपीठ को कहा है कि वह जल्द से जल्द मामले की सुनवाई पूरी करे। वहीं अदालत ने आर.सी.ए. के चुनावों पर भी रोक लगाने से इनकार

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आर.सी.ए. ने तीनों जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता बहाल कर दी और अब तीनों जिला संघ आर.सी.ए. की आगामी ए.जी.एम. में शामिल होंगे।

कर दिया है।

सुनवाई के दौरान श्रीगंगानगर व अन्य जिला क्रिकेट संघ ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि आर.सी.ए. के चुनाव होने वाले हैं और इसकी आपत्ति लोकपाल के समक्ष होती है, लेकिन लोकपाल हाईकोर्ट के रिटायर जज है। जबकि नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही लोकपाल नियुक्त हो सकते हैं। ऐसे में मौजूदा लोकपाल

की नियुक्ति गलत है तो फिर आपत्ति किसके समक्ष पेश करें।

इसलिए आर.सी.ए. के चुनाव पर रोक लगाई जाए जवाब में आर.सी.ए. ने कहा कि उन्होंने तीनों जिला क्रिकेट संघों को पहले से ही नोटिस भेजकर एजीएम के लिए आमंत्रित कर रखा है और उनकी संबद्धता को भी बहाल कर दिया है। ऐसे में अदालत द्वारा आर.सी.ए. के चुनावों पर रोक नहीं लगाई जाए। इस पर क्रिकेट संघों की

ओर से लोकपाल की नियुक्ति गलत होने व मौजूदा लोकपाल को हटाने के लिए कहा, लेकिन अदालत ने कहा कि यह मुद्दा हाईकोर्ट में लंबित है और इसमें वे दखल नहीं देना चाहते। गौरतलब है कि आर.सी.ए. ने पिछले दिनों श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को निरस्त कर दिया था।

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर एकलपीठ ने नागौर व श्रीगंगानगर क्रिकेट संघ की संबद्धता रद्द करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन खंडपीठ ने लोकपाल को इस मामले में निर्णय लेने की छूट दे दी थी। खंडपीठ के आदेश को जिला क्रिकेट संघों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

ब्रिटेन और भारत में फ्री ट्रेड एग्रिमेंट डील क्यों फाइनल नहीं हो पा रही?

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ब्रिटेन में ब्रिटेन की यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (एफ.टी.ए.) पर हस्ताक्षर होने के आसार हैं। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रिमेंट (एफ.टी.ए.) को लेकर पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। ज्यादातर बातों पर सहमति बन गई है और बचे हुए कुछ मामलों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। माना जा रहा है कि दिवाली तक सहमति अपने अंतिम चरण में होगी, जो कि 24 अक्टूबर को सैलिब्रेंट की जानी है।

मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया, भारत और ब्रिटेन को विश्वास है कि दिवाली से एफ.टी.ए. पर सहमति बन जाएगी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में व्यापार मंत्रियों की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पी.एम. मोदी के ब्रिटेन दौरे की जानकारी अक्टूबर के पहले

- इस डील के मामले में दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर की पाँच दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक क्रियान्विति नहीं हो पाई है।

हफ्ते में सार्वजनिक की जा सकती है। यह यात्रा दिवाली के आसपास ही होने के आसार हैं। हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने हाल ही में कहा था कि दिवाली का त्योहार मनाने का सबसे अच्छा तरीका एफ.टी.ए. को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच एफ.टी.ए. समझौता होने से न सिर्फ आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगी, बल्कि रोजगार के भी नए

अवसर पैदा होंगे।

इस व्यापार समझौते पर दिवाली के त्योहार तक हस्ताक्षर हो जाने की काफी उम्मीद है। भारत और ब्रिटेन ने इस समझौते को दिवाली तक पूरा करने की जो समय सीमा तय की हुई है, वह एक शुभ तिथि साबित होगी।

उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजेंद्र रत्नू ने कहा कि दोनों ही देशों के नेता इस व्यापार समझौते को लेकर दृढ़प्रतिबद्ध हैं। इस समझौते से कपड़ा, चमड़ा, आभूषण व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे श्रम-बाहुल्य क्षेत्रों में भारत के निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच अधिकांश उत्पादों और सेवाओं का व्यापार लगभग निःशुल्क हो जाएगा। इससे द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

उद्धव ठाकरे की बॉम्बे हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शिंदे गुट के इस अनुरोध को खारिज कर दिया कि वह याचिका पर तब तक कोई निर्णय ना करे जब तक कि पार्टी पर दावे के विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता।

ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने यह कहते हुए निर्णय का स्वागत किया कि न्यायपालिका में उसकी आस्था सही साबित हुई है। पार्टी प्रवक्ता मनीष कात्यायन ने कहा कि इस वर्ष की रैली भव्य होगी।

उन्होंने दावे से कहा कि ब्रह्म-मुम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (बी.एम.सी.) पर कुछ दबाव रहा होगा, जिसने अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

सेना के सचिव विनायक राउत ने कहा, "न्यायपालिका में हमारा भरोसा पुख्ता एवं प्रामाणित हो गया है। पिछले कई सौलों से, दशहरा रैली "शिव तीर्थ" (सेना शिवाजी पार्क को इसी नाम से पुकारती है) पर होती आ रही है लेकिन इस बार शिंदे गुट तथा भाजपा के जरिये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सेना अब दो हिस्सों में बंट गई है तथा इसके अलावा, 2020 एवं 2021 में कोविड महामारी के कारण रैली नहीं हो पाई थी।

उद्धव ठाकरे ने आगस्त में शिंदे पर यह कहते हुये कटाक्ष किया था कि पार्टी को पूरा भरोसा नहीं है कि उसे इस आयोजन की अनुमति मिल जायेगी। ठाकरे ने यहां तक भी कह दिया था कि चाहे जो भी हो, वे शिवाजी पार्क में

दशहरा रैली करेंगे। शिवसेना की दशहरा रैली मुम्बई के शिवाजी पार्क में होगी। पूरे राज्य के शिव सैनिक इस रैली में पहुंचेंगे। ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुये कहा था, "हम इन तकनीकी चीजों में नहीं जाते कि सरकार इसकी अनुमति देगी या नहीं। हम रैली जरूर आयोजित करेंगे। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग रैलियों का आयोजित करती या नहीं। शिवसेना विश्वासघातियों के दम पर आगे नहीं बढ़ी, शिव सैनिकों के रक्त से आगे बढ़ी है।" उम्मीद की जा रही है कि 5 अक्टूबर को होने वाली रैली में, वे महाराष्ट्र के विकास को लेकर लम्बा-चौड़ा भाषण देंगे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले विरोधी खेमे को बान्ना कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में रैली के लिये अनुमति मिल चुकी है। एक घंटे गंधी राजनैतिक पर्यवेक्षक ने कहा कि उच्च

न्यायालय की अनुमति ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना के इस दावे को और मजबूत करेगी, कि वह बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित राजनैतिक दल के वारिस हैं तथा उस पार्टी के परम्परागत अनुयायियों में निष्ठा पैदा करेगी, जो पार्टी देश की वित्तीय राजधानी में एक बड़ा राजनैतिक घटक रही है।

गहलोत तब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपेक्षाकृत युवा एवं ज्यादा गतिशील नेतृत्व लाना ही होगा, लेकिन काम में गहलोत एक बड़ा अवरोध सिद्ध हुये हैं। सूत्रों का कहना है कि वे अन्त तक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार गहलोत का सामना राहुल गांधी के उस उन्मत्त संकल्प से है तथा राहुल अब गहलोत की किसी भी बकवास को बर्दाश्त करने के मूढ़ में दिखाई नहीं दे रहे।

नविका...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस कृष्ण मुरारी को बैंच ने नविका कुमार को गत 8 अगस्त को दिया गया प्रोटैक्शन भी बढ़ा दिया। बैंच ने व्यवस्था दी कि उनके खिलाफ आठ हफ्तों तक कोई प्रतिरोधी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वे इस अंतरिम अवधि के दौरान कोई विधिक उपचार कर सकें।

बैंच ने उन्हें यह छूट भी दी कि वह मुख्य एफ.आई.आर. को खारिज करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। दिल्ली पुलिस की इन्टेलिजेंस फ्यूज एण्ड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन्स (आई.एफ.एस.ओ.) यूनिट इस मामले की जांच करेगी।

अपने खिलाफ शुरू की गई कार्यवाहियों को रद्द करवाने के लिए नविका कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर एक अंतरिम आदेश देते हुए केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किए थे। नविका कुमार के टी.वी. शो की एक डिबेट के दौरान पैगम्बर मोहम्मद पर नूर शर्मा की टिप्पणियों का देशभर में विरोध हुआ था और कई खाड़ी देशों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

वो दिन गये जब

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसे दौर में, जब जुबान फिसलने को भी पकड़ लिया जाता हो, तो सोचिये कि उस समय क्या हो सकता है, जब बहुत बड़े सार्वजनिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसी टिप्पणियाँ करते हुये हाई कोर्ट में बोलते हुये, जैसाकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ हुआ। नड्डा की इस टिप्पणी, कि मर्दुरै एम्स का 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, को लेकर उन पर चारों तरफ से हमले होने लगे हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने गुर्वार मर्दुरै में उद्योगपतियों की एक मीटिंग में बोलते हुये, यह दावा कर मर्दुरै सांसद ने थोपुर साइट में एक घंटे तक भवन को ढूँढा लेकिन कुछ नहीं मिला लगता है। एम्स की इमारत किसी ने चुरा ली है। सादर।

पूर्व स्वीकृत सीटें केवल 100 थीं। जब यह बयान तथ्य-जाँचकर्ताओं को जानकारी में आया तो वे तुरन्त उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ एम्स की बिल्डिंग बन रही थी। शुक्रवार को, पड़ोस की ही विरुधुनगर सीट के कांग्रेस सांसद एम.बी. मणिकक्कम टेंगोर तथा मर्दुरै सांसद वैकटेशम (सी.पी.एम.) ने जब संबंधित स्थल पर एम्स का भवन ढूँढा तो पता चला कि उस जगह पर तो एक ईंट तक नहीं थी।

कांग्रेस सांसद ने वयंग्य शैली में ट्वीट किया, "मर्दुरै एम्स (का निर्माण कार्य) 95 प्रतिशत पूरा कराने में बोलते हुये, मैंने तथा मर्दुरै सांसद ने थोपुर साइट में एक घंटे तक भवन को ढूँढा लेकिन कुछ नहीं मिला लगता है। एम्स की इमारत किसी ने चुरा ली है। सादर।"

इसके बाद, एक और ट्वीट में, कांग्रेस सांसद ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने जानना चाहा कि भाजपा अध्यक्ष तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा इस प्रकार के मर्दुरे पर आखिर झूट कैसे बोल सकें। कांग्रेस सांसद ने कहा, "वे (भाजपा) इसी तरीके से तमिलनाडु तथा मर्दुरै की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं तथा तमिलनाडु इसे कभी नहीं भूलेगा।"

राजनैतिक विश्लेषक सी. रमन ने भी नड्डा की एम्स संरंभे हुए घोषणा पर कटाक्ष करते हुये, ट्वीट किया, "वाह! यह जानकर बड़ी खुशी हुई लेकिन यह एम्स किस शहर में है, मधोदय? मर्दुरै में तो है नहीं।" बहुत से लोगों ने टिवटर के जहीरे, प्रस्तावित स्थल से एम्स की इमारत के गायब हो जाने पर घोर आश्चर्य व्यक्त किया।